संशोधन

संख्या: 21 /2024/ 140 /चार-2024

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 09 जनवरी, 2024

विषय: जनपद अयोध्या में टेन्ट सिटी विकसित किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 18/2024/71/चार-2024 दिनांक 05 जनवरी, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या- 18/2024/71/चार-2024 दिनांक 05 जनवरी, 2024 में आंशिक संशोधन करते हुए शासनादेश संख्या- 18/2024/71/चार-2024 दिनांक 05 जनवरी, 2024 के प्रस्तर-1 में 'सम्भावित व्यय रू0 100.00 लाख (रूपये दस करोड़ मात्र)' के स्थान पर 'सम्भावित व्यय रू0 1000.00 लाख (रूपये दस करोड़ मात्र)' पढ़ा जाये।

3- उक्त शासनादेश संख्या-18/2024/71/चार-2024 दिनांक 05 जनवरी, 2024 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 21 /2024/ 140 (1) /चार-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त(लेखा) अनुभाग-1/वित्त(ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in